

2. बजट और कार्यक्रम

क्र. सं.	वस्तु	प्रकटीकरण का विवरण	टिप्पणियाँ/संदर्भ बिंदु (पूर्णतः पूरा/आंशिक रूप से पूरा/पूरा नहीं/लागू नहीं होने को पूर्णतः पूरा/आंशिक रूप से पूरा माना जाएगा)						
2.1	प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी योजनाएं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण आदि पर रिपोर्ट शामिल हैं [धारा 4(1)(बी)(xi)]	सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए कुल बजट	347.52 करोड़ रुपये (2017-18 से 2023-24 की अवधि के लिए) मंत्रालय से प्राप्त हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 63.15 करोड़ रुपये मंत्रालय से प्राप्त हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 81.96 करोड़ रुपये (मंत्रालय द्वारा आवंटित)						
		प्रत्येक एजेंसी और योजना एवं कार्यक्रम के लिए बजट	256 करोड़ रुपये (पूँजीगत कार्यों के लिए)						
		प्रस्तावित व्यय	347.52 करोड़ रुपये (50.52 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि सहित परियोजना मोड के पूरा होने के लिए)						
		प्रत्येक एजेंसी के लिए संशोधित बजट, यदि कोई हो	लागत वृद्धि सहित संशोधित बजट 347.52 करोड़ रुपये है (अर्थात 297 करोड़ + परियोजना को अगस्त 2023 तक विस्तारित करके 50.52 करोड़ रुपये) और मार्च 2024 तक 347.52 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्त बजट/अनुदान 63.15 करोड़ रुपये है।						
		किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट तथा वह स्थान जहां संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध हैं	अब तक 410.67 करोड़ रुपये प्राप्त हुए (347.52 करोड़ रुपये + 63.15 करोड़ रुपये)। विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है।						
2.2	विदेशी एवं घरेलू दौरे (फा. सं. 1/8/2012-आईआर दिनांक 11.9.2012)	बजट	पर्यटन के लिए कोई अलग से बजट आवंटित नहीं किया जाता। जब भी आधिकारिक दौरे होते हैं, तो संस्थान के नियमों के अनुसार अनुदान से व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।						
		संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के मंत्रालयों और अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों द्वारा विदेश और घरेलू दौरे। भ्रमण किये गये स्थान यात्रा की अवधि	संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के मंत्रालयों और अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों द्वारा विदेश और घरेलू दौरों का ब्यौरा <table border="1"> <thead> <tr> <th>भ्रमण किये गये स्थान</th><th>अवधि</th><th>सदस्यों की संख्या</th><th>व्यय</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>एंडर विश्वविद्यालय, नॉर्वे</td><td>08.08.2023 से 14.08.2023 (यात्रा दिवसों सहित)</td><td>02</td><td>संस्थान के मानदंडों के अनुसार</td></tr> </tbody> </table>	भ्रमण किये गये स्थान	अवधि	सदस्यों की संख्या	व्यय	एंडर विश्वविद्यालय, नॉर्वे	08.08.2023 से 14.08.2023 (यात्रा दिवसों सहित)
भ्रमण किये गये स्थान	अवधि	सदस्यों की संख्या	व्यय						
एंडर विश्वविद्यालय, नॉर्वे	08.08.2023 से 14.08.2023 (यात्रा दिवसों सहित)	02	संस्थान के मानदंडों के अनुसार						

		आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या यात्रा पर व्यय	जकार्ता, इंडोनेशिया	25.2.2025 से 28.2.2025	01	संस्थान के मानदंडों के अनुसार
		खरीद से संबंधित जानकारी नोटिस/निविदा पूछताछ, और यदि कोई हो तो शुद्धिपत्र, प्रदान की गई बोलियों का विवरण जिसमें खरीदी जा रही वस्तुओं/सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नाम शामिल होंगे, संपन्न कार्य अनुबंध - उपरोक्त और ऐसे किसी भी संयोजन में वह दर/दरें तथा कुल राशि जिस पर ऐसी खरीद या कार्य संविदा निष्पादित की जानी है।	विवरण अपलोड कर दिए गए हैं https://iiitk.ac.in/			
2.3	सब्सिडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का तरीका [धारा 4(i)(बी)(xii)]	गतिविधि कार्यक्रम का नाम	लागू नहीं			
		कार्यक्रम का उद्देश्य	लागू नहीं			
		लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया	लागू नहीं			
		कार्यक्रम/योजना की अवधि	लागू नहीं			
		कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य	लागू नहीं			
		सब्सिडी की प्रकृति/मान/आबंटित राशि	लागू नहीं			
		सब्सिडी अनुदान के लिए पात्रता मानदंड	लागू नहीं			
		सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफाइल आदि)	लागू नहीं			

2.4	विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान [फा. सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]	राज्य सरकार/एनजीओ/अन्य संस्थाओं को विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान/आबंटन	लागू नहीं
		उन सभी कानूनी संस्थाओं के वार्षिक खाते जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है	लागू नहीं
2.5	सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण [धारा 4(1)(बी)(xiii)]	सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण	लागू नहीं
		प्रत्येक दी गई रियायत, परमिट या प्राधिकरण के लिए पात्रता मापदंड रियायत/अनुदान और/या प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया रियायतें/परमिट या प्राधिकरण दिए गए प्राप्तकर्ताओं का नाम और पता रियायतें/अनुमति प्रदान करने की तिथि	लागू नहीं

2.6	सीएजी और पीएसी पैरा [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]	सीएजी और पीएसी के पैराग्राफ तथा इनके बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई हैं।	अंतिम एसएआर के साथ-साथ 2023-24 तक के सीएजी द्वारा ऑडिट किए गए वार्षिक खातों को संसद के दोनों सदनों में रखा गया। एसएआर और वित्त वर्ष 2023-24 तक के वार्षिक खातों को संस्थान की वेबसाइट पर होस्ट किया गया। लिंक है https://iiitk.ac.in/RTI/page
-----	---	---	---